

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

23- डोईवाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि-

श्री बृजभूषण गैरोला, लेन न0 03 एकता विहार बी0 ब्लॉक लोअर नत्थनपुर देहरादून जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये, उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- देहरादून

तारीख- 10 मार्च 2022

हस्ताक्षर
रिटर्निंग ऑफिसर
डोईवाला, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
(विधानाधिकारी, डोईवाला)

23- डोईवाला विधान सभा



Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **23-Doiwala** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

BRIJ BHUSHAN GAIROLA

lane n0 03 ekta vihar b block lower nathanpur dehradun [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : *Dehradun*

Date : 10-03-2022

रिटर्निंग ऑफिसर
(Ms. Yukta Mishra) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
Returning Officer (जिलाधिकारी, डोईवाला)

023-Doiwala

Legislative Assembly Constituency

